

CONTENTS

INDEX

TITLE	Page(s)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक नई और दूरदर्शी दृष्टि पर एक अध्ययन – मीनू सचदेवा, डॉ. शिवपाल सिंह	02
हिन्दी भाषा एवं संस्कृति का नई शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में अध्ययन – विनीत कुमार आर्य, डा० रामबाबू सिंह, डॉ० मीनाक्षी द्विवेदी	16
शिक्षा नीति 2020: संवैधानिक प्रावधानों पर अध्ययन – शिवानी जैन	22
शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की भूमिका - पूजा रानी	28
शिक्षक शिक्षा और शिक्षक दक्षताओं को पेशेवर बनाना - श्री मन्दीप कुमार	33

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक नई और दूरदर्शी दृष्टि पर एक अध्ययन

*मीनू सचदेवा

सहायक प्राध्यापिका

दीवान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मेरठ (उत्तरप्रदेश)

**डॉ. शिवपाल सिंह

प्राचार्य

सार

भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। 1948 में डॉ॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा-प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 1952 में लक्ष्मीस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग, तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंशाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें 'राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल' युवक-युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति, तथा 1993 में प्रो. यशपाल समिति का गठन किया गया। New Education Policy PDF (NEP नई शिक्षा नीति) : जैसे की हम जानते ही हैं कि "शिक्षा " व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये ज़रूरी है की शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए वक्त के साथ शिक्षा नीति में भी बदलाव किया जाता रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 – नई शिक्षा नीति भी समय की मांग और जरूरत के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाये रखने के लिए लाई गयी है। शिक्षा नीति में बदलाव 34 वर्ष बाद हुआ है। इस से पहले सं०1968 और सं०1986 के बाद ये तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है । नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो प्रमुख रह चुके "डॉ० के० कस्तूरीरंगन" की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर इसे लागू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक में बदलाव किया गया है। साथ ही "मानव संसाधन विकास मंत्रालय " को अब " शिक्षा मंत्रालय " के नाम से जाना जाएगा। इस पॉलिसी के तहत बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं जिन्हे आगे इस आर्टिकल के ज़रिये जान सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत

उच्च शिक्षा के सुधार के लिए अनेक प्रयत्न किए गए हैं। जो की आज के समय के अनुकूल हैं।

प्रस्तावना

आजकल के युग में अगर इंसान शिक्षित ना रहा तो उसे जीवन बिताने में कठिनाई हो सकती है। पढ़ाई करना इंसान के जीवन में बहुत जरूरी होता है। गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने का सपना देखता है। और अगर कोई बच्चा ठान ले तो बहुत पढ़ लिखकर डॉक्टर, वकील, बन सकता है। आजकल के युग में अगर इंसान शिक्षित ना रहा तो उसे बाहर की दुनिया में कोई इज्जत नहीं देगा उसका सम्मान नहीं करेगा। हमारे देश में ऐसे भी लोग है जो बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते और अपने बेटों को बहुत पढ़ाते है। हमें सबको जीवन में शिक्षा का महत्व ध्यान में रखना ही चाहिए।

आधुनिक युग आज इतनी तेज़ी से चल रहा है कि इस इस युग को आधुनिकता का क्रांतिकारी युग बोला जा सकता है। किसी भी समय में बदलाव अपने आप नहीं आते, बदलाव लाए जाते हैं और इनके पीछे की यह प्रक्रिया शिक्षा के बिना असंभव है। आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। लोगों को अपना जीवन जीने में और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा की काफी जरूरत है। शिक्षा जीवन को बेहतर बनाने वाली संभावनाओं तक पहुँचती है। आज सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं, औद्योगिकरण के युग में ज्ञान के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। इसे व्यावहारिक ज्ञान कहा गया है। इसलिए शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। जिससे बच्चे छात्र जीवन में ही अपने व्यावसायिक समस्याओं के समाधान प्राप्त कर कुशल कर्मचारी बन सके। इससे ना सिर्फ नए रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे बल्कि नए व्यवसाय व कार्य क्षेत्र के मार्ग भी खोजे जाएँगे। शिक्षा समाज में आवश्यकता से बढ़कर एक मापदंड बन गई है। समाज में उन्हीं लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में शिक्षा बहुत आवश्यक है। उचित शिक्षा के लिये आवश्यक है कि समय-समय पर शिक्षा में समय की मांग के अनुसार बदलाव होते रहने चाहियें। इसके लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता है।

“शिक्षा” व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जरूरी है की शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए वक्त के साथ शिक्षा नीति में भी बदलाव किया जाता रहे।

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बचपन से व्यक्ति जो पढ़ता है, देखता है, उसी से उसकी विचारधारा का निर्माण होता है और आगे जाकर वही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। वर्तमान परिदृश्य में बेहतर तरीके से जीना ही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। ज्ञान की सार्थकता तभी है, जब वो हमारे जीवन में उतरकर उसे समृद्ध बनाए। मौजूदा समय में देश में जिस तरह की पढ़ाई चल रही है, उसमें केवल बच्चे पर अधिक से अधिक अंक लाने का दबाव होता है, बस किसी तरह रट्टा मारकर, कई जगह कोचिंग लगाकर 90 फीसद से अधिक अंकों वाली मार्कशीट हासिल करना ही एक मात्र लक्ष्य रह गया है। जबकि इसी शिक्षा में अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, जीवनशैली, वेशभूषा, भाषा, नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों की पहचान के साथ इतिहास की जानकारी भी शामिल होती है। यदि व्यक्ति इन मूलभूत शिक्षाओं से वंचित रह जाए, या सत्य की जगह मिथ्या तथ्यों को आत्मसात करने लगे, तो आगे जाकर हो सकता है कि उसकी अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और सम्मान कम होने लगे और वह विदेशी विचारधारा का गुलाम होने लगे।

आज 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया विज्ञान और तकनीक के चरम को छु रही है, उसके कदमों से कदम मिलाकर चलने के लिए केंद्र सरकार यह नई शिक्षा नीति लेकर आई है। अगर इसका क्रियान्वयन सफल रहता है, तो यह नई प्रणाली भारत को दुनिया के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। इस शिक्षा नीति के साथ सरकार शिक्षा का स्वदेशीकरण करने की कोशिश में है। सरकार का मानना है कि ब्रिटिश अफसर मैकाले ने भारत को गुलाम बनाने के लिए जो शिक्षा पद्धति यहाँ के लोगों पर थोपी थी, जिससे देश में काले अंग्रेज़ पैदा होने लगे हैं, उससे देशवासियों को वापस निकालने के लिए शिक्षा का स्वदेशीकरण बेहद जरूरी है। साथ ही 1986 के बाद से देश की शिक्षा नीति में कोई बदलाव भी नहीं हुआ था, जिससे आधुनिक भारत पिछड़ता नज़र आ रहा था। सरकार का मानना है कि यह नई शिक्षा नीति आधुनिक भारत को रफ़्तार देने का काम करेगी। हालांकि, अब देखना यह है कि यह शिक्षा नीति देश का कितना हित कर पाती है।

अध्ययन की आवश्यकता

उच्च शिक्षा ने पिछले दो दशकों में विकास में तेजी से वृद्धि का अनुभव किया है, जिसे निजी क्षेत्र द्वारा शुरू किए गए उपायों के कारण मुख्य रूप से संचालित किया जा सकता है। हालांकि ये उपाय संदिग्ध हैं और वास्तविक और वैध चिंताएं मौजूद हैं कि ये पहल आधी अधूरी, घटिया और शोषक हैं और उन्होंने केवल अनुसंधान के मानकों को नीचे की ओर भेजने और समग्र शैक्षणिक योग्यता को कम करने का काम किया है। भारतीय उच्च शिक्षा की कुछ समस्याएं, जैसे कि बोझिल संबद्धता प्रणाली, अनम्य शैक्षणिक संरचना, विभिन्न विषयों में असमान क्षमता, शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता का क्षरण, और सार्वजनिक वित्त पोषण का निम्न स्तर सर्वविदित है। ये समस्याएं प्राथमिक प्रेरणा थीं, "भारत में उच्च शिक्षा पर

अध्ययन और एक प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता" विषय को अध्ययन के लिए चुना गया था। अध्ययन का उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के प्रभाव का विश्लेषण करना और लंबी अवधि के आधार पर भारतीय उच्च शिक्षा में वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक विभिन्न कदमों का अध्ययन करना और उपायों का सुझाव देने के लिए अन्य देशों के अनुभवों का उपयोग करना है। इसकी विभिन्न प्रणालीगत कमियों से निपटने के लिए। अध्ययन 118 के नमूने पर और द्वितीयक डेटा से प्राप्त प्रश्नावली जानकारी के संचलन के माध्यम से आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से छात्र और शिक्षक। यह पाया गया कि उनमें से अधिकांश इस बात से सहमत थे कि भारत में मौजूदा बुनियादी ढांचे का औसत स्तर उच्च शिक्षा है और यह भी तथ्य है कि भारत में शिक्षा के मानक के पीछे विकसित देशों की तुलना में अधिकांश महसूस किया गया है। अध्ययन के परिणाम इंगित करते हैं कि उच्च शिक्षा अपेक्षित मानक को पूरा नहीं करती थी और इसे पश्चिमी शिक्षा के समकक्ष लाने के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन और शिक्षाशास्त्र के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

शोधकर्तों के अनुसार अध्ययन की निम्न आवश्यकताएं हैं-

- प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देने के लिए।
- शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता को बच्चों को अकादमिक और गैर-शैक्षणिक दोनों क्षेत्र में प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए।
- मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को बढ़ावा देने के लिए।
- शिक्षार्थियों के पास अपने सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपने रास्ते खुद चुन सकें, इसके लिए पाठ्यक्रम का लचीलापन जानने के लिए।
- कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठिन अंतर नहीं है। सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के बीच हानिकारक पदानुक्रम, और साइलो गतिविधियों, आदि को खत्म करने के लिए।
- विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला में बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए।
- एक बहु-विषयक दुनिया के लिए मानविकी, और खेल सभी ज्ञान; रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर देने के लिए।
- तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए।
- रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए।
- नैतिकता और मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के प्रति सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक

संपत्ति का सम्मान, वैज्ञानिक स्वभाव, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलवाद, समानता और न्याय बहुभाषावाद और शिक्षण और सीखने में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए।

- जीवन कौशल जैसे संचार, सहयोग, टीम वर्क सीखने के लिए।
- सीखने के लिए योगात्मक आकलन के बजाय नियमित रचनात्मक आकलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए।
- आज की 'प्रशिक्षण संस्कृति' को प्रोत्साहित करने के लिए।
- शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, भाषा की बाधाओं को दूर करने आदि को बढ़ाना देने के लिए।
- शैक्षिक योजना और प्रबंधन; सभी पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ के लिए विविधता और सम्मान के लिए।
- हमेशा यह ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, छात्र शिक्षा प्रणाली में आगे बढ़ने में सक्षम हैं, यह निश्चित करने के लिए।
- स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बचपन की देखभाल और शिक्षा से शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल बिठाने के लिए।
- शिक्षकों और शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र के रूप में - उनकी भर्ती, निरंतर व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति; अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन सुनिश्चित करने के लिए।
- स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत नवाचारों की पहचान करना।
2. एन.ई.पी. 2020 के भारतीय उच्च स्तरीय शिक्षा प्रणाली पर प्रभावों की भविष्यवाणी करना।
3. एन.ई.पी. 2020 की उच्च शिक्षा नीतियों के गुणों पर चर्चा करना।
4. यह पेपर एन.ई.पी. 2020 और उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है।
5. यह पेपर एन.ई.पी. 2020 की मुख्य विशेषताओं को भी रेखांकित करता है और विश्लेषण करता है कि वे मौजूदा शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का तुलनात्मक अध्ययन

उच्च शिक्षा लोगों को मानवता का सामना करने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान करती है। यह विशेष ज्ञान और कौशल के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। शैक्षिक पिरामिड के शीर्ष पर होने के नाते, यह शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षकों के उत्पादन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान के अभूतपूर्व विस्फोट के संदर्भ में, उच्च शिक्षा को हमेशा गतिशील और लचीला होना चाहिए। शिक्षा को गतिशील बनाने के लिए व शिक्षा में निरंतर सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता है। जिनमें उच्च शिक्षा भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक नीति है। यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक को कवर करती है। पहला एनपीई भारत सरकार द्वारा 1968 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, दूसरा प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा 1986 में, और तीसरा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में प्रख्यापित किया गया था।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। 2005 में, पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के "सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम" के आधार पर एक नई नीति अपनाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 के तहत एक्शन प्रोग्राम (पीओए) 1992, देश में पेशेवर और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की परिकल्पना की गई है। इंजीनियरिंग और वास्तुकला / योजना कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए, भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2001 के संकल्प के तहत राज्य स्तर के संस्थानों के लिए तीन-परीक्षा योजना (राष्ट्रीय स्तर पर जेईई और एआईईईई और राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (एसएलईईई) निर्धारित की है। एआईईईई में शामिल होने के विकल्प के साथ)। यह इन कार्यक्रमों में अलग-अलग प्रवेश मानकों का ध्यान रखता है और पेशेवर मानकों के रखरखाव में मदद करता है। यह ओवरलैप की समस्याओं को भी हल करता है और प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके माता-पिता पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करता है।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए किए गए प्रयास का सार और भूमिका:

1. सर्वांगीण विकास:

"हमारी राष्ट्रीय धारणा में शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक है- भौतिक और आध्यात्मिक"।

2. संवर्धन भूमिका:

शिक्षा को एक सांस्कृतिक भूमिका निभानी है क्योंकि यह उन संवेदनशीलताओं और धारणाओं को परिष्कृत करती है जो राष्ट्रीय एकता, एक वैज्ञानिक स्वभाव और मन और आत्मा की स्वतंत्रता में योगदान करती हैं - इस प्रकार हमारे संविधान में निहित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों को आगे बढ़ाती हैं।

3. मानव-शक्ति विकास:

शिक्षा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए मानव-शक्ति का विकास करती है। यह वह आधार भी है जिस पर राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की अंतिम गारंटी होने के कारण अनुसंधान और विकास फलता-फूलता है।

4. एक अनूठा निवेश:

शिक्षा अपने सभी रूपों में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एनपीई '86 ने स्पष्ट रूप से समझाया है: "'राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली' की अवधारणा का तात्पर्य है कि, एक निश्चित स्तर तक, सभी छात्रों, जाति, पंथ, स्थान या लिंग के बावजूद, तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार वित्त पोषित कार्यक्रम शुरू करेगी। 1968 की नीति में अनुशंसित सामान्य विद्यालय प्रणाली की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे पर आधारित होगी जिसमें अन्य घटकों के साथ एक सामान्य कोर होता है जो लचीले होते हैं। कॉमन कोर में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व और राष्ट्रीय पहचान को पोषित करने के लिए आवश्यक अन्य सामग्री शामिल होगी।

इन तत्वों को विषय क्षेत्रों में काट दिया जाएगा और भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंगों की समानता, पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक बाधाओं को दूर करने, छोटे परिवार के मानदंडों का पालन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। . सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुरूप भावना के साथ चलाया जाएगा।

3. शिक्षा के अवसर की समानता:

समानता को बढ़ावा देने के लिए न केवल पहुंच में बल्कि सफलता की स्थितियों में भी सभी को समान अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा। इसके

अलावा, मुख्य पाठ्यक्रम के माध्यम से सभी की अंतर्निहित समानता के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। इसका उद्देश्य सामाजिक वातावरण और जन्म से दुर्घटना के माध्यम से प्रसारित पूर्वाग्रहों और जटिलताओं को दूर करना है।

4. सीखने का न्यूनतम स्तर:

यह शिक्षा के प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम में सीखने के प्रत्येक क्षेत्र के लिए शिक्षा का एक तुलनीय मानक सुनिश्चित करेगा। यह शिक्षण सामग्री के विकास, उपयुक्त शिक्षण अधिगम रणनीतियों के चयन और शिक्षार्थी की प्रगति के मूल्यांकन में एक संदर्भ के रूप में कार्य करेगा। यह पूरे देश में शिक्षा के उचित स्तर को बनाए रखने में भी मदद करेगा।

5. सांस्कृतिक और सामाजिक प्रणालियों की समझ:

एनपीई '86 कहता है, "छात्रों में देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों की विविध सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था की समझ को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए, लिंक भाषा को विकसित करना होगा और पुस्तकों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने और बहुभाषी शब्दकोशों और शब्दावलियों को प्रकाशित करने के कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। नीति में कहा गया है, "युवाओं को भारत की फिर से खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रत्येक अपनी छवि और धारणा में"।

आजीवन शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया का एक पोषित लक्ष्य है। यह सार्वभौमिक साक्षरता का पूर्वाभास करता है। युवाओं, गृहिणियों, कृषि और औद्योगिक श्रमिकों और पेशेवरों को अपनी गति से अपनी पसंद की शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। भविष्य का जोर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की दिशा में होगा।

11. राष्ट्रीय संस्थानों का सुदृढीकरण:

एनपीई '86 अनुशंसा करता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे यूजीसी, एनसीईआरटी, एनआईपीए, एआईसीटीई, आईसीएआर, आईएमसी आदि को मजबूत किया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार दे सकें और राष्ट्र की उभरती मांगों का सामना कर सकें।

इन सभी प्रमुख निकायों के बीच एकीकृत योजना स्थापित की जाएगी ताकि कार्यात्मक संबंध स्थापित किया जा सके और अनुसंधान और स्नातकोत्तर शिक्षा के कार्यक्रमों को सुदृढ किया जा सके।

समानता के लिए शिक्षा:

एनईपी '86 "असमानताओं को दूर करने और उन लोगों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए शैक्षिक अवसर को समान करने पर विशेष जोर देता है जो अब तक वंचित हैं"।

उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित का वर्णन करती है:

- i. बड़ी संख्या में स्वायत्त महाविद्यालयों का विकास किया जाएगा। चुनिंदा आधार पर विश्वविद्यालयों के भीतर स्वायत्त विभागों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ii. विशेषज्ञता की मांगों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए कॉलेज शिक्षा के पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को नया रूप दिया जाएगा। भाषाई क्षमता और पाठ्यक्रम संयोजन पर जोर दिया जाएगा।
- iii. उच्च शिक्षा परिषदों के माध्यम से राज्य स्तरीय योजना एवं समन्वयन किया जायेगा। मानकों पर नजर रखने के लिए यूजीसी और ये परिषदें संयुक्त रूप से पद्धति विकसित करेंगी।
- iv. प्रवेश क्षमता के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- v. शिक्षण के तरीकों को ऑडियो-विजुअल एड्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स द्वारा पूरक किया जाएगा। नवीनतम पाठ्यक्रम और सामग्री के विकास, अनुसंधान और शिक्षक अभिविन्यास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।
- vi. गुणवत्तापूर्ण शोध सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों में सहायक सेवाओं को बढ़ाने के लिए यूजीसी द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। इंडोलॉजी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को पर्याप्त समर्थन मिलेगा। उचित प्रबंधन के साथ विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
- vii. नीति में अधिक समन्वय और निरंतरता के हित में सामान्य रूप से उच्च शिक्षा और कृषि, चिकित्सा, तकनीकी, कानूनी और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में फैले एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी।

मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा:

- i. उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने और शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के साधन के लिए मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली शुरू की जाएगी।
- ii. 1985 में स्थापित इग्नू को उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुदृढ़ किया जाएगा।
- iii. इस शक्तिशाली उपकरण को सावधानी और सावधानी से विकसित करना होगा।

नौकरियों से डिग्री को अलग करना:

चयनित क्षेत्रों में डिग्रियों को नौकरियों से अलग करने की शुरुआत की जाएगी। इसे उन सेवाओं में लागू किया जाएगा जिनके लिए विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक योग्यता नहीं है। इसके कार्यान्वयन से नौकरी विशिष्ट पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण होगा और उन उम्मीदवारों को अधिक न्याय मिलेगा, जो किसी दिए गए नौकरी के लिए सुसज्जित होने के बावजूद स्नातक उम्मीदवारों के लिए अनावश्यक वरीयता के कारण इसे प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

विनिर्दिष्ट नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण करने और देश भर में तुलनीय क्षमता के मानदंडों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वैच्छिक सेवाओं पर परीक्षण करने के लिए उपयुक्त चरणों में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा जैसी उपयुक्त मशीनरी स्थापित की जाएगी।

ग्रामीण विश्वविद्यालय:

शिक्षा पर गांधी जी के विचारों की तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालय के नए पैटर्न को समेकित और विकसित किया जाएगा। इसलिए गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के संस्थानों और कार्यक्रमों को समर्थन दिया जाएगा।

तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा:

तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के पुनर्गठन को अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण, उत्पादन और प्रबंधन प्रक्रियाओं में संभावित परिवर्तनों, ज्ञान के तेजी से विस्तार और विज्ञान में महान प्रगति के विशेष संदर्भ में, सदी के अंत तक प्रत्याशित परिदृश्य को ध्यान में रखना चाहिए। तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली को और विकसित और मजबूत किया जाएगा। स्थापित और उभरती प्रौद्योगिकियों को कवर करते हुए सतत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूली उम्र से ही कंप्यूटर साक्षरता के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे।

जनसंचार माध्यमों के उपयोग सहित दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से लोगों के एक बड़े वर्ग की तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा तक पहुँच बनाई जाएगी। बहु-बिंदु प्रविष्टि के प्रावधान के साथ, पॉली-तकनीक में शिक्षा सहित तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम भी क्रेडिट के आधार पर एक लचीले मॉड्यूलर पैटर्न पर होंगे।

महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लाभ के लिए तकनीकी शिक्षा के उचित औपचारिक और गैर-औपचारिक कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। छात्रों को 'स्व-रोजगार' को करियर विकल्प के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रमों में

मॉड्यूलर या वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

सामुदायिक पॉलिटेक्निक प्रणाली का मूल्यांकन किया जाएगा और इसकी गुणवत्ता और कवरेज को बढ़ाने के लिए उचित रूप से मजबूत किया जाएगा। सभी उच्च तकनीकी संस्थानों द्वारा मानव-शक्ति का उत्पादन करने के उद्देश्य से अनुसंधान किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा और उद्योग के बीच नेटवर्किंग सिस्टम स्थापित करना होगा। चूंकि तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा महंगी है, लागत प्रभावशीलता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

New Education Policy PDF (NEP नई शिक्षा नीति) 2020:

जैसे की हम जानते ही हैं कि “शिक्षा” व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये ज़रूरी है की शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए वक्त के साथ शिक्षा नीति में भी बदलाव किया जाता रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 – नई शिक्षा नीति भी समय की मांग और जरूरत के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाये रखने के लिए लाई गयी है। शिक्षा नीति में बदलाव 34 वर्ष बाद हुआ है। इस से पहले सं० 1968 और सं० 1986 के बाद ये तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो प्रमुख रह चुके “डॉ० के० कस्तूरीरंगन” की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर इसे लागू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक में बदलाव किया गया है। साथ ही “मानव संसाधन विकास मंत्रालय” को अब “शिक्षा मंत्रालय” के नाम से जाना जाएगा। इस पॉलिसी के तहत बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं जिन्हे आगे इस आर्टिकल के ज़रिये जान सकते हैं।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

- **वोकेशनल ट्रेनिंग को दिया जाएगा महत्व :** नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत 2025 तक वोकेशनल पढाई करने वालों का प्रतिशत 50% तक लाने का लक्ष्य रखा है जो अभी तक 5 प्रतिशत से भी कम है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमे उन्हें बागबानी , मिट्टी के बर्तन बनाना, बिजली का काम आदि सिखाया जाएगा।

- **एम.फिल. को किया समाप्त और अब 4 साल का होगा बी० एड :** नयी एजुकेशन पालिसी 2020 में एम.फिल. कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया है। साथ ही अब बी.एड. प्रोग्राम को 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है।
- **भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना :** नयी शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 तक अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने की सुविधा दी है।
- **विदेशी भाषा भी सम्मिलित :** विद्यार्थियों को अब माध्यमिक स्तर से विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। इस तरह से छात्रों को कहीं भी किसी भी क्षेत्रों में पिछड़ने से बचाया जा सकता है।
- **नयी शिक्षा नीति के तहत भाषाओं को जान ने वाले शिक्षकों की भर्ती :** भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं का ज्ञान रखने वाले शिक्षकों की भर्ती की जाएगी ताकि अपनी भाषा में छात्र बिना किसी समस्या के पढ़ सकें।
- **किसी एक स्ट्रीम के चुनाव की बाध्यता खत्म :** अब से स्कूल व कॉलेज में किसी भी एक स्ट्रीम को चुनने की बाध्यता खत्म कर दी गयी है। छात्र अपने विषय अपनी पसंद से चुन सकेंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम में विषयों का पूल बनाया जाएगा जिसमें छात्रों को अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव करने में सुविधा होगी।
- **शिक्षा के साथ कौशल विकास पर भी ध्यान :** नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अब छात्रों को शिक्षा के साथ अब कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्हें शुरुआती कक्षाओं से ही संगीत, नृत्य, योग, मूर्तिकला आदि अन्य कलाओं में भी पारंगत किया जाएगा।
- **मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री की सुविधा :** नई नीति के तहत अब पढाई में किसी कारणवश छात्र को ब्रेक लेना पड़ता है तो वो बाद में भी अपनी पढाई को पूरी कर सकता है। इसके लिए छात्र को फिर शुरुआत से नहीं पढ़ना होगा। साथ ही छात्र को उसके पढ़े हुए अवधि के अनुसार सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आदि प्रदान किये जाएंगे।
- **अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट :** अब विद्यार्थियों से सम्बंधित जानकारीयां, डाक्यूमेंट्स व अंक आदि को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। जिसे बाद में उनके डिग्री प्रदान करते वक्त इस्तेमाल किया सकेगा।

- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल नियामक के रूप में कार्य करेगा। इसके तहत चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को नहीं रखा गया है। इसके चार निकाय होंगे –राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद , सामान्य शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद तथा उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद।
- विकलांग बच्चों के विकास के लिए भी नयी शिक्षा नीति में बदलाव किये गए हैं।

शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार

एडमिशन

नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अब शिक्षा क्षेत्र में कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी नए प्रावधान बनाये गए हैं। अब से कॉलेज में एडमिशन के लिए अगर छात्रों को 12 वी के मार्क्स के आधार पर (कटऑफ के बेस पर) मनपसंद कॉलेज में सीधे एडमिशन नहीं मिलता है तो वो छात्र CAT (कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट) एग्जाम दे सकते हैं। फिर 12 वी तथा कैट एग्जाम के अंक मिलाकर वे अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का अवसर पा सकते हैं।

“मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट”

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन की पढाई को अब 4 और 3 साल के टाइम पीरियड में बांटा गया है। जिसमे अब “मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट” की सुविधा दी गयी है। इसके तहत अगर कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन की डिग्री की पढाई बीच में अधूरी छोड़कर जाता है या किसी कारणवश अपनी पढाई पूरी नहीं पाता तो उसे एक साल में सर्टिफिकेट कोर्स, दो साल में डिप्लोमा, और 3 साल में बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। वहीं अगर कोई 4 साल की पढाई पूरी करता है तो उसे बैचलर्स के साथ रिसर्च का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बीच में छोड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी पढाई पूरी करने का इच्छुक हो तो वो भी अपनी पढाई फिर से शुरू कर सकता है इसके लिए उसे फिर से ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से शुरू करने की जरूरत नहीं होगी। जिस वर्ष की पढाई अधूरी रह गयी थी वहाँ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ भी छात्र अपनी पसंद से विषयों का चुनाव कर सकते हैं।

अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट (ABC)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब छात्रों को अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। अब से सभी छात्रों के अंक , रिपोर्ट, डाक्यूमेंट्स

आदि ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से सेव किये जाएंगे। पढाई के दौरान सेमेस्टर में क्रेडिट्स मिलेंगे जिसके अंतर्गत कोई भी छात्र जो किसी कारणवश अपने सेमेस्टर पूरे नहीं कर पाता है तो वो अपनी पढाई पूरी करने के लिए इस अकादमिक बैंक में अपने क्रेडिट्स का प्रयोग करके पढाई बाद (एक निश्चित अवधि) में पूरी कर सकता है। इस बैंक में जमा क्रेडिट का उपयोग वो दूसरे संस्थान में जाने के लिए भी प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अनेक सुधार व प्रयास किए गए। जो उस समय की मांग के अनुकूल थे। कोई भी शिक्षा नीति अधिक समय के लिए कारगर नहीं हो सकती। उसमे समय की मांगानुसार परिवर्तन निश्चय ही होने चाहिए। तभी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भी उच्च शिक्षा के सुधार के लिए अनेक प्रयत्न किए गए हैं। जो की आज के समय के अनुकूल हैं। जैसे M.Phil. कार्यक्रम को समाप्त कर छात्रों के ऊपर से व्यर्थ का बोझ समाप्त किया गया है।

B.Ed. को कक्षा 12वीं के बाद B.A. पाठ्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे छात्रों के समय की बचत होने के साथ साथ चार वर्ष में अधिक सीखने को भी मिलेगा।

एक स्ट्रीम की बाध्यता खत्म होने से छात्र विषयों के अतिरिक्त बोझ से बच जायेंगे। व छात्रों को उनकी अरुचि के विषय भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे।

संदर्भ सूची

- NEP 2020- At a Glance for Educators, by Dr. Dheeraj Mehrotra, 2021
- National Education Policy 2020 Ministry of Human Resource Development Government of India, 2020.
- Educated (2018) is a memoir by the American author Tara Westover.
- Teaching Machines, The History of Personalized Learning, Audrey Watters 2021.
- शिक्षा और समाज, सुमन लता, एल. एच. खत्री।
- भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं उसकी समस्याएं, डॉ. जय प्रकाश दुबे।
- NATIONAL EDUCATION POLICY 2020 : PATHS AND DESTINATION (Published by SHETH C N COLLEGE OF EDUCATION) Hardcover – 15 June 2021 by RAJESH SHARMA (Author), HARESH VADHEL (Author)